पत्र सं०–6 एस०एस०(6)03/2024–1442/

बिहार सरकार

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक–20/03/2026.

XX
अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

XX

द्वाराः– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में पशुपालकों के द्वार पर पशु चिकित्सा (डोर स्टेप पशु चिकित्सा सेवा) सुविधा उपलब्ध कराने की योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु केन्द्र प्रायोजित–राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत रुपये 663.12 लाख (छह करोड़ तिरसठ लाख बारह हजार) मात्र (केन्द्रांश–60 प्रतिशत एवं राज्यांश–40 प्रतिशत) के व्यय की स्वीकृति के लिए पूरक योजना की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या–477, दिनांक–12.02.2024 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025–26 में पशुपालकों के द्वार पर पशु चिकित्सा (डोर स्टेप पशु चिकित्सा सेवा) सुविधा उपलब्ध कराने की योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु केन्द्र प्रायोजित–राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत रुपये 663.12 लाख (छह करोड़ तिरसठ लाख बारह हजार) मात्र (केन्द्रांश–60 प्रतिशत एवं राज्यांश–40 प्रतिशत) के व्यय की स्वीकृति के लिए पूरक योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। विस्तृत व्यय विवरणी–''क'' एवं ''ख'' के रूप में संलग्न।

2. उक्त राज्यादेश के द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए रुपये 10757.99 (एक अरब सात करोड़ सन्तावन लाख निन्यानवे हजार) मात्र, जिसमें से "आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2" के तहत रुपये 5399.34 लाख (तिरपन करोड़ निन्यानवे लाख चौंतीस हजार) मात्र तथा केन्द्र प्रायोजित योजना "राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम" के तहत रुपये 5358.65 लाख (केन्द्रांश–60 प्रतिशत–रुपये 3215.19 लाख एवं राज्यांश–40 प्रतिशत–रुपये 2143.46 लाख) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3. उक्त राज्यादेश के साथ संलग्न विस्तृत व्यय विवरणी–1 में 534 मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिट (Mobile Veterinary Unit-MVU) के परिचालन (वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव) हेतु अनुमानित राशि का आकलन प्रतिमाह रुपये 15,000/– (पन्द्रह हजार) मात्र के आधार पर किया गया है।

4. भारत सरकार के द्वारा निर्गत Operational Guidelines में MVU के परिचालन हेतु Maintenance & Fuel (Petrol/Diesel/Oil/Lubricant etc.) के लिए अनुमानित लागत प्रतिमाह रुपये 33,000/– (तैंतीस हजार) मात्र आकलित है।

5. इस प्रकार प्रत्येक MVU के परिचालन हेतु वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव–Maintenance & Fuel (Petrol/Diesel/Oil/Lubricant etc.) के लिए प्रतिमाह रुपये 18,000/– (अठारह हजार) मात्र अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है, जिसकी गणना निम्नवत् है :–

निधि का स्रोत	**MVU की संख्या**	**प्रतिमाह अतिरिक्त राशि की आवश्यकता**	**कुल अतिरिक्त राशि की आवश्यकता**
केन्द्र प्रायोजित योजना "राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम"	307	18,000/-	6,63,12,000/-

(रुपये छह करोड़ तिरसठ लाख बारह हजार मात्र)

6. इस वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु स्वीकृत राशि के व्यय के क्रम में विभागीय राज्यादेश संख्या–6 एस०एस०(6) 03/2024–477 दिनांक–12.02.2024 तथा तत्संबंधी शुद्धि पत्र ज्ञापांक–2062, दिनांक–18.06.2024, शुद्धि पत्र ज्ञापांक–555, दिनांक–05.02.2025 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक–3266, दिनांक–21.07.2025 में प्रावधानित अन्य सभी अनुदेशों/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. योजना अन्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश में स्वीकृत राशि का व्यय "Just-in-Time" release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through SNA SPARSH Module के अनुसार Department of Expenditure (PFMS Division), Ministry of Finance, Govt. of India के Office Memorandum F No. 1(27)/PFMS/2020, दिनांक–13.07.2023 एवं Office Memorandum F No. 1(27)/PFMS/2020, दिनांक–07.08.2023 में अंकित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा। वित्त विभाग, बिहार के पत्र संख्या–e.gov/PFMS-05/2023-398, दिनांक–13.01.2025 के द्वारा RBI के ई–कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की धनराशि "Just-in-Time" पर जारी करने हेतु SNA-SPARSH Module (PFMS) के तहत Drawing Account खोले जाने की सूचना दी गयी है। प्रस्तावित योजना के कार्यान्वयन हेतु विभाग द्वारा बी०एल०डी०ए०, पटना के माध्यम से खोले गये Drawing Account की विवरणी निम्नवत् है –

Sl. No.	Account Number	Name of account	Short name of account
1	01585501132	BR249-BR LIVESTOCK HEALTH AND DISEASE CONTROL PROGRAMME (MVU RECURRING/ OPERATIONAL EXPENSES) (4123)	GOBHSPARSH LHDCPMVURECURR

8. वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–410/वि० दिनांक 12.06.2025 के द्वारा SNA SPARSH Module में अधिसूचित केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के सफल क्रियान्वयन के

संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत किया गया है, जिसमें अंकित है कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा SNA SPARSH Module के तहत अधिसूचित 28 स्कीमों को Component wise (General, SCSP and TSP) एक ही HoA (Head of Account) से केन्द्रांश एवं राज्यांश के e-payment हेतु दावा/विपत्र (Claim/Bill) बनाने की व्यवस्था की गयी है। उक्त व्यवस्था के आलोक में एक ही HoA से केन्द्रांश एवं राज्यांश के e-payment हेतु विपत्र (Bill) बनाने के लिए राज्यांश मद की सम्पूर्ण राशि को उसी स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रांश मद में हस्तान्तरित किया जाना है। वित्त विभागीय उक्त पत्र के आलोक में प्रस्तावित योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए विभिन्न घटकों एवं विषय शीर्षो के तहत राज्यांश की राशि को संगत केन्द्रांश के समरूप घटक/विषय शीर्ष में जोड़ते हुए योजना की स्वीकृति एवं तदनुसार योजना कार्यान्वयन पर व्यय किया जाना है।

9. वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना "राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम" के तहत केन्द्रांश (राज्यांश की समतुल्य राशि सहित) के विभिन्न विपत्र कोड अंतर्गत 3106–सहायक अनुदान–गैर वेतन विषय शीर्ष में पर्याप्त बजट उपबंध नहीं होने के फलस्वरूप पुनर्विनियोग/अनुपूरक आगणन से आवश्यक राशि की व्यवस्था कर योजना कार्यान्वयन पर व्यय किया जायेगा। प्रस्तावित योजना के तहत व्यय को भारत सरकार से विमुक्त राशि के आलोक में बजट उपबंध के अधीन सीमित रखा जायेगा। केन्द्रांश (राज्यांश की समतुल्य राशि सहित) की घटकवार एवं विषयशीर्ष–वार व्यय विवरणी–"क" एवं "ख" संलग्न है।

10. वित्तीय वर्ष 2025–26 में योजना अन्तर्गत व्यय का वहन निम्नांकित बजट शीर्ष से किया जाना प्रस्तावित है :–

(i) मुख्य शीर्ष 2403–पशुपालन, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक की योजना, मांग संख्या–02, उप शीर्ष 0209–राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एमवीयू के संचालन हेतु आवर्ती व्यय) विपत्र कोड–02–2403007890209 (व्यय विवरणी –"क")

(ii) मुख्य शीर्ष 2403–पशुपालन, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मांग संख्या–02, उप शीर्ष 0232–राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एमवीयू के संचालन हेतु आवर्ती व्यय) विपत्र कोड–02–2403007960232 (व्यय विवरणी –"ख")

11. केन्द्रांश/राज्यांश की राशि के व्यय के लिए भारत सरकार तथा वित्त विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित अद्यतन दिशा–निदेशों/प्रक्रियाओं का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. इस योजना के तहत स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ्रोजेन सीमेन बैंक–सह–बुल स्टेशन, पटना होंगे।

13. इस योजना के तहत स्वीकृत राशि के व्यय के उपरान्त विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ्रोजेन सीमेन बैंक–सह–बुल स्टेशन, पटना के द्वारा संगत प्रावधानों के तहत उपयोगिता प्रमाण पत्र पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

14. निदेशक, पशुपालन का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम०–04–15/2009–9736 वि०–2, दिनांक–19.10.2011 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।

15. चूँकि यह आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 अन्तर्गत एक चालू योजना है। योजना का लागत मूल्य 5.00 करोड़ से अधिक एवं 15.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान एवं योजना लागत मूल्य के अनुसार प्रत्यायोजित वित्तीय शक्ति के आलोक में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस० (6)03/2024 के पृष्ठ–98/टि० एवं दिनांक–17.03.2026.

16. राज्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)03/2024 के पृष्ठ–90/टि० तथा डायरी संख्या–676, दिनांक–26.12.2025.

17. वित्त विभाग के पत्र सं०–7355 दिनांक–05.10.2007 से संबंधित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से राशि की निकासी में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन

(कुमार रवीन्द्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)03/2024–1442 /पटना–15, दिनांक– 20 / 03 /2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)03/2024–1442 /पटना–15, दिनांक– 20 / 03 /2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ समाहरणालय कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)03/2024–1442/पटना–15, दिनांक– 20/03/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना/सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)03/2024–1442/पटना–15, दिनांक– 20/03/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ्रोजेन सिमेन बैंक–सह–बुल स्टेशन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)03/2024–1442/पटना–15, दिनांक– 20/03/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ पशुपालन निदेशालय के बजट शाखा/लेखा शाखा/योजना शाखा–10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)03/2024–1442/पटना–15, दिनांक– 20/03/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ महालेखाकार/लेखा परीक्षा, कार्यालय महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)03/2024–1442/पटना–15, दिनांक– 20/03/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभाग के सभी पदाधिकारी/विभागीय योजना शाखा के कार्यवाह सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त 05 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)03/2024–1442/पटना–15, दिनांक– 20/03/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)03/2024–1442/पटना–15, दिनांक– 20/03/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय आई०टी० मैनेजर, को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

व्यय विवरणी–"क"

वित्तीय वर्ष 2025–26 में केन्द्र प्रायोजित–राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशुपालकों के द्वार पर पशु चिकित्सा (डोर स्टेप पशु चिकित्सा सेवा) सुविधा उपलब्ध कराने की योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु पूरक योजना की स्वीकृति संबंधी मदवार व्यय विवरणीः–

विपत्र कोड 02–2403007890209.

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	विषय शीर्ष	योजना स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5
1.	0209.3106 –सहायक अनुदान–गैर वेतन	265.25	विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ्रोजेन सिमेन बैंक–सह–बुल स्टेशन, पटना।	समाहरणालय कोषागार, पटना
	योग :–	**265.25**		

(रुपये दो करोड़ पैंसठ लाख पच्चीस हजार मात्र)

1442
20/03/26

20/3

सरकार के संयुक्त सचिव

 Typed by Sanjay Kumar

व्यय विवरणी–"ख"

वित्तीय वर्ष 2025–26 में केन्द्र प्रायोजित–राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशुपालकों के द्वार पर पशु चिकित्सा (डोर स्टेप पशु चिकित्सा सेवा) सुविधा उपलब्ध कराने की योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु पूरक योजना की स्वीकृति संबंधी मदवार व्यय विवरणी :–

विपत्र कोड 02–2403007960232.

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	विषय शीर्ष	योजना स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	0232.3106 –सहायक अनुदान–गैर वेतन	397.87	विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ्रोजेन सिमेन बैंक–सह–बुल स्टेशन, पटना।	समाहरणालय कोषागार, पटना
	योग :–	**397.87**		

(रुपये तीन करोड़ सन्तावने लाख सतासी हजार मात्र)

व्यय का सारांश –		
क्र०सं०	**व्यय विवरणी**	**राशि (लाख रुपये में)**
1.	व्यय विवरणी–क	265.25
2.	व्यय विवरणी–ख	397.87
	योग :–	**663.12**

(रुपये छः करोड़ तिरसठ लाख बारह हजार मात्र)

1442
20/03/26

20/3

सरकार के संयुक्त सचिव

 Typed by Sanjay Kumar